धारा

56

गैर–प्रतिशोध

A. सार

B. प्रासंगिकता

C. नीति

D. प्रक्रियाएं

E. संदर्भ

F. समीक्षा

जारी करने की तारीख 3/20/14

अप्रकाशित कार्य • यूनाइटेड टैक्नोलॉजीज़ कॉर्पोरेशन • 2013

A. सार

यूटीसी की *नैतिक संहिता* के किसी वास्तविक अथवा संभावित उल्लंघन की नेकनीयती से रिपोर्ट करने वाले अथवा जांच में शामिल होने वाले कर्मचारियों अथवा तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिशोध निषिद्ध है। इस नीति के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध अनुसाशनिक कार्रवाई की जाएगी जिसमें नौकरी से निकालना अथवा कंपनी के साथ अन्य कारोबारी रिश्ते समाप्त करना शामिल है।

B. प्रासंगिकता

यह नीति यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कार्पोरेशन, इसकी सहायक कंपनियों, प्रभागों और विश्व भर में कार्पोरेशन द्वारा नियंत्रित अन्य सभी कारोबारी कंपनियों और उनके सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। इसी प्रकार यह नीति उन तीसरे पक्षकारों (कंपनियों और लोगों) पर भी लागू होती है जो नेकनीयती से किसी गलत आचरण की कंपनी को सूचना देते हैं अथवा जो ऐसा करने वाले यूटीसी के कर्मचारियों अथवा अन्य के विरुद्ध प्रतिकार करते हैं।

C. नीति

1. यूटीसी की नैतिक संहिता सभी स्तर के सभी कर्मचारियों से अपेक्षा करती है कि जब वे नैतिक संहिता, इसके कार्यन्वयन घटकों और नीतियों अथवा किसी कानून, विनियम अथवा प्रक्रिया का वास्तविक अथवा संदिग्ध उल्लंघन होते देखें (जिसे इस पूरी नीति में "गलत आचरण" कहा गया है) तो वे नेकनीयती से इसके बारे में रिपोर्ट दें, बशर्ते कि ऐसी रिपोर्ट देना नि षिद्ध न हो अथवा कानून द्वारा अन्यथा प्रतिबंधित न हो। इसी प्रकार यूटीसी गैर-कर्मचारियों से भी यूटीसी-संबंधी गलत आचरण की रिपोर्ट देने की आशा करता है। "नेकनीयती" से तात्पर्य है कि ईमानदारी और उपयुक्त विश्वास के साथ यह रिपोर्ट देना की गलत आचरण घटित हुआ है। अपने सरोकार उठाने के लिए कंपनी के विभिन्न माध्यम जैसे कि ऑम्बुड्ज़्मैन/DIALOG कर्मचारियों और तीसरे पक्षकारों के लिए अपने सरोकार उठाने हेतु उपलब्ध है।

2. यूटीसी वास्तविक अथवा संदिग्ध गलत आचरण की नेकनीयती से रिपोर्ट देने वाले अथवा इसकी जांच में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रतिशोध का निषेध करती है, भले ही लगाए गए आरोप सिद्ध न हों। "प्रतिशोध" से तात्पर्य है नेकनीयती से रिपोर्ट करने अथवा जांच करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल कार्रवाई करना। प्रतिशोध का सामना करने वाले अथवा अनुभव करने वाले व्यक्तियों को पैरा 1 में वर्णित अनुसार इस गलत आचरण की रिपोर्ट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3. यूटीसी कथित प्रतिशोध की जोरदार तरीके से जांच करती है और यदि कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा तीसरे पक्षकार को प्रतिशोध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है अथवा ऐसे तीसरे पक्षकार के कारोबारी रिश्तों को समाप्त किया जा सकता है।

4. यूटीसी ज्ञात सूचना देने वालों से नियमित आधार पर बातचीत करके तर्कसंगत रूप से प्रतिशोधपूर्ण स्थितियों की पहचान करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनकी रक्षा करेगी।

5. यह नीति कर्मचारियों अथवा तीसरे पक्षकारों को गलत कार्यों में शामिल होने पर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है।

D. प्रक्रियाएं

कोई नहीं।

अप्रकाशित कार्य • यूनाइटेड टैक्नोलॉजीज़ कॉर्पोरेशन • 2013

E. संदर्भ

नैतिक संहिता

गैर–प्रतिशोध पुस्तिका

F. समीक्षा

इस नीति की दो साल में एक बार समीक्षा की जाएगी।